न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील राजस्व / 28 / 2018

1 देवीसिंह पुत्र विजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम हरनेरा तहसील नदबई , जिला भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर

........रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 08.10.2018 न्यायालय तहसीलदार नदबई व मुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट मुकदमा नं 19 / 18 न्यायालय तहसीलदार नदबई।

उपस्थित –

1– श्री राजाराम डागुर अभिभाषक अपीलांट

2– श्री राजेश पचौरी राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 08.05.2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार नदबई के आदेश दिनांक 08.10.2018 के खिलाफ पेश हुई है। अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार नदबई ने खसरा न. 557 / 392 रकवा 0.68 व 439 रकवा 1.20 चारागाह भूमि बांके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई पर तहासीलदार द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 08.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें विवादित आराजी पर अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किए जाने एवं पेन्लटी 2256 /– रूपये कायम करने की आज्ञा दी गयी है तथा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए 3 माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार नदबई से तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक ने अपील अंकित कथनों को दोहराते हुए बताया है कि अपीलांट के हाल खसरा न. 557/392 रकवा 0.68 व 439 रकवा 1.20 हैक्टेयर चारागाह भूमि बाके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि खसरा न. 557/392 चारागाह भूमि बाके ग्राम हरनेरा तहसील नदबई में से क्रमश .68 व 1.20 हैक्ट रकवा पर अतिक्रमण दिखा दिया गया है। योग्य रेस्पो की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। योग्य अभिभाषक पक्ष का तर्क है कि तहत न्यायालय में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने तीन माह का सिविल कारावास दण्ड से अपीलांट को दंण्डित किया गया एवं 50 गुना पेनल्टी 2256/– रू फसल नीलामी आदेश पारित किये गऐ हैं। अपीलांट द्वारा पेनल्टी जमा करा दी गई है। एवं चारागाह भूमि से अपना कब्जा हटा लिया गया है। हमने खाली जमीन पड़ी हुई होने के कारण उसमें डहंचा बो दिया था। जो अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे विरूद्ध तीन माह का सिविल कारावास से दण्डित किया है जो कि गलत है क्यों कि अपीलांट ने सरकारी भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया था। अतः दिनांक 08.10.2018 के पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जाये।

पेरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार नदबई के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2018 की ताईद करते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी इस आरराजी पर अतिक्रमण किया गया था। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत की गई है। जिसका तहत अदालत को बखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है। अंत में पेरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलांट खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । आराजी खसरा न. 557/392 रकवा 0.68 व 439 रकवा 1.20 हैक्टेयर राजस्व रिकोर्ड में राजकीय चारागाह भूमि बाके ग्राम हरनेरा में अपीलांट द्वारा डहचा बोकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। उक्त अतिक्रमण का सिद्ध होना स्वयं अपीलांट के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट होता है एवं पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 27.02.2019 की रिपोर्ट से अवगत कराया है कि अतिक्रमी ने अपना कब्जा हटा लिया है। पश्चातवर्ती अर्थात विवादित आराजी पर अपीलांट अतिक्रमी का कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसके अतिरिक्त पेनल्टी राशि अपीलांट के द्वारा जमा कराई जा चुकी है। जब अतिक्रमी अपीलांट के द्वारा विवादित चारागाह भूमि से मौके पर अतिक्रमण है हटाया लिया है। कब्जा नहीं होतो उसके विरूद्ध पारित सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाना न्यायोचित एवं विधि सम्वत रहता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार नदबई को प्रति प्रेषित की जाती है कि बाद जांच मौके पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है तो ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2018 के तहत अपीलांट के विरूद्ध पारित सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाती है तथा शेष आदेश में कोई हस्तक्षेप न किया जाकर यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2019 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ आरूषि मलिक)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील राजस्व/26/2018

1 सत्यवीर सिंह पुत्र महारान सिंह जाति जाट निवासी ग्राम हरनेरा तहसील नदबई , जिला भरतपुर

......अपीलार्थी